

20/10/24

पञ्जावली केर डेरी अखिवन्त।
 उमय पसकारान उप. अखिवन्त।
 परिवारी लिखित बहस डा जवाब
 परलुतमकर सीधे बहस डाना चाहे
 त। उमय पसकारान डी बहस
 मुनी जर्न अखिवन्त। वादीने
 डेरी में लिखित बहस परलुत कर
 निवेदन किया कि वादी डा बाद
 छ मासिड साथ डे अभाव में
 डिडी किया जाना न्यायोचित है।
 अतः लिखित बहस वादीगण स्वीकार
 फामायी जाकर बाद पत्र वादीगण
 डिडी किया जाने डा आदेश
 पदान करावे।

अखिवन्त। परिवारी ने उपरोक्त
 हुकमों पर एतराज जाहिर कर
 निवेदन किया कि वादी ने न
 तो डेरी दस्तावेज प्रदर्शित करवाए
 और न ही डेरी साथ परलुत
 किए हैं मात्र उल्लेख डे आधार
 पर घोषणा न्यायोचित नहीं है।
 अतः वादी डा बाद पत्र खारीज
 करने डा निवेदन किया
 हमने पञ्जावली डा आधोपान्त
 अखिलोडन व अध्ययन कर उमय
 पसकारान डी बहस पर गहनता
 से मनन किया कि अखिवन्त।
 वादी ने मात्र बयान शोध पत्र
 परलुत किए। न तो डेरी उवाह डी
 फेरा किए और न ही डेरी उमय
 आराजीयात डे दस्तावेज प्रदर्शित करवाए
 मात्र उल्लेख डे आधार पर घोषणा
 डेरी डेरी साथ नहीं होने से वादी
 अपना वाद पत्र प्रमाणित कराने में असफल
 होने से वादी डा बाद पत्र साथ डे
 अभाव में खारीज किया जाता है।
 डिडी जारी हो पञ्जावली फेमल नुमार होत नम्बर से मम हो।



(बिनु कौर)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपरक्त अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (अन.)